



आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के तहत शीर्ष परषिद्

प्रलिस के लयि

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014, कृषणा जल वविद् न्यायाधकिरण

मेन्स के लयि

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जल वविद्

चरचा में क्यों?

06 अक्तूबर, 2020 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 (Andhra Pradesh Re-Organization Act- 2014) के तहत गठति शीर्ष परषिद् की दूसरी बैठक में अधयकष के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रि और सदस्यों के रूप में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने भाग लयि।

प्रमुख बदि:

- वर्ष 2016 के बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 (Andhra Pradesh Re-Organization Act- 2014) के तहत गठति शीर्ष परषिद् की यह दूसरी बैठक थी।
- यह बैठक मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच सचिई परयोजनाओं को नषिपादति करने और [कृषणा](#) एवं [गोदावरी](#) नदियों के जल को साझा करने हेतु एक समाधान निकालने के लयि आयोजति की गई थी।
- इस बैठक में कृषणा एवं गोदावरी नदी के जल के बँटवारे के संबंध में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में दायर कयि गए मामले को वापस लेने पर सहमति वियक्त की ताकि केंद्र सरकार दोनों राज्यों के मध्य जल बँटवारे के मुद्दे को कृषणा गोदावरी प्राधकिरण (Krishna Godavari Tribunal) को सौंप सके।

शीर्ष परषिद् की दूसरी बैठक के मुख्य एजेंडे:

- इस बैठक के पहले एजेंडे में गोदावरी एवं कृषणा प्रबंधन बोर्ड के अधकिार क्षेत्रों के बारे में नरिणय लयि गया था।
 - छह वर्ष होने के बावजूद भी उनके अधकिार क्षेत्रों को अभी तक अधसिूचति नहीं कयि गया है क्योंकि दोनों राज्यों के इस वषिय पर अलग-अलग वचिार हैं।
- जबकि दूसरे एजेंडे में क्रमशः कृषणा और गोदावरी नदियों पर दोनों राज्यों द्वारा शुरू की गयी नई परयोजनाओं की वसितुत परयोजना रपिर्ट (DPR) प्रसतुत करना शामिल है।
 - [आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014](#) के अनुसार, कृषणा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) और [गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड](#) (GRMB) दोनों का तकनीकी रूप से मूल्यांकन करना और उन्हें स्पष्ट करना है।
- वही तीसरे एजेंडे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच कृषणा और गोदावरी नदी के जल के बँटवारे का नरिधारण करने के लयि एक तंत्र की स्थापना करना है।

केंद्र सरकार का पकष:

- उपरोक्त एजेंडों एवं अन्य मुद्दों के संबंध में केंद्र सरकार का पकष यह है कि [अंतरराज्यीय नदी जल वविद् अधिनियम-1956](#) (Inter State River Water Disputes Act-1956) की [धारा-3](#) के अंतर्गत जल आवंटन के मुद्दे को नए न्यायाधकिरण या [कृषणा जल वविद् न्यायाधकिरण](#) (KWDT-II) को संदर्भति कयि जाए, यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबति है और वचिाराधीन है।
- कृषणा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में अवस्थति होगा।
- केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषणा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB एवं GRMB) के अधकिार क्षेत्र का नरिधारण करेगी।
 - तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस पर असहमति वियक्त की है कति आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के अनुसार, इस वषिय पर कसिी भी

प्रकार की आम सहमति की आवश्यकता नहीं है और इस वषिय पर केंद्र ही अधिसूचना जारी करेगा ।

स्रोत: द हट्ट

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/apex-council-under-andhra-pradesh-re-organization-act-2014>

